



**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**  
**National Commission for Protection of Child Rights**

**“आओ हम सब मिलकर बाल श्रम रोकें”**

- ❖ बाल श्रम एक कानूनी एवम् सामाजिक अपराध है।
- ❖ 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना एक दण्डनीय अपराध है।
- ❖ 14 से 18 साल के किसी भी बच्चे को खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करना एक दंडनीय अपराध है।
- ❖ बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रावधान 3 के अनुसार; उल्लंघन किये जाने पर:
  - 6 माह से लेकर 2 साल तक का कारावास
  - या 20 हजार से लेकर 50 हजार तक का जुर्माना
  - या दोनों भी हो सकते हैं।
- ❖ चुप न रहें, जहां बाल श्रम होता देखें तो तुरंत शिकायत करें।
  - श्रम विभाग / श्रम निरीक्षक,
  - जिला कलेक्टर कार्यालय,
  - पुलिस (100),
  - चाइल्ड लाइन (1098),
  - बाल कल्याण समिति
- ❖ उपरोक्त दिए अधिकारियों / संस्थाओं को आप मौखिक या लिखित शिकायत कर सकते हैं।
- ❖ बाल श्रम एक संज्ञेय अपराध है। कोई भी नागरिक पुलिस में इसकी शिकायत कर सकता है।
- ❖ आपकी शिकायत गोपनीय रखी जाएगी और बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया जायेगा।
- ❖ अगर कोई आपकी शिकायत नहीं सुनता है तो आप इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सम्पर्क कर सकते हैं।



**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**

**5वा तला, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली -110001**

**Phone: 011-23478200, Fax: 011-23724026**

**For Complaint: [www.ebaalnidan.nic.in](http://www.ebaalnidan.nic.in), Visit <http://www.ncpcr.gov.in>**